न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– डॉ. श्रीमती प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 723/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/783

अपीलाण्ट :–

1. ढलाराम पुत्र जगनाथ जाति जाट निवासी भूरिवासनी तहसील रोहट जिला पाली
2. मृत मांगीलाल पुत्र जगनाथराम के वारिसान
   - 2/1 सुमेरराम पुत्र स्व. मांगीलाल
   - 2/2 श्रीमती घीसीदेवी पत्नी स्व. मांगीलाल
   - 2/3 श्रीमती लीला पुत्री स्व. मांगीलाल पत्नी गणपत जातियान जाट निवासीयान भूरियासनी तहसील रोहट जिला पाली
   - 2/4 श्रीमति सुखी देवी पुत्री स्व. मांगीलाल पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी खारा बेरा पुरोहितान तहसील लूणी जिला जोधपुर
   - 2/5 श्रीमती खमली पुत्री स्व. मांगीलाल पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी भटिण्डा तहसील व जिला जोधपुर
3. मृतक बाबूलाल पुत्र जगनाथ के वारिसान
   - 3/1 सोहनलाल पुत्र स्व. बाबूलाल
   - 3/2 श्रीमती उगली देवी पत्नी स्व. बाबूलाल जातियान जाट निवासीयान

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रोहट, जिला पाली राजस्थान।
2. राहुल चौधरी पुत्र हरदेवराम जाति जाट निवासी–27 बी अखे निवासी आहुजा कॉलोनी एयरपोर्ट रोड जोधपुर।
3. श्रीमती लीला पुत्री हरदेवराम पत्नि गोपाराम जाति जाट निवासी डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर।
4. श्रीमती रेखा पुत्री हरदेवराम पत्नि प्रधान जाति जाट निवासी 27 बी अखे निवासी आहुजा कॉलोनी एयरपोर्ट रोड जोधपुर।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

भूरियासनी तहसील रोहट
जिला पाली।

3/3 श्रीमती मीमा पुत्र स्व. बाबूलाल पत्नि बलदेवराम जाति जाट निवासी बिनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।

4. श्रीमती चम्पा पुत्री जगनाथराम पत्नि भींयाराम जाति जाट निवासी लालकी तहसील रोहट जिला पाली।

5. श्रीमति शान्ति देवी पुत्री जगनाथराम पत्नि गिरधारीराम जाति जाट निवासी डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के राजस्व अपील 5/2024 में पारित निर्णय दिनांक 27–05–2024

उपस्थिति :–

1. श्री राजूराम हरियाल, श्री रमेश राम मोटड़ा विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्तागण, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 लगायत 3।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 24 दिसम्बर, 2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार रोहट द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 933 दिनांक 09.10.2001 को अपास्त कराने हेतु प्रथम अपील न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 27–05–2024 को पारित किया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–05–2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट की कृषि भूमि ग्राम सांवलता कलां तहसील रोहट के खसरा नंबर 115 रकबा 45 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि जगनाथराम पुत्र जोगाराम जाति जाट की खातेदारी की भूमि स्थित थी तथा जगनाथराम की मृत्यु वर्ष 2001 में हुई तत्पश्चात् अपीलार्थी ढलाराम, बाबूलाल व मांगीलाल के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 933 दिनांक 09.10.2001 जो नायब तहसीलदार रोहट जिला पाली को विधि अनुसार स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश पारित होने के करीब 23 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन व चार ने उनकी माता स्व. गीतादेवी पुत्री जगनाथराम की मृत्यु के बाद बाजार में जमीन की कीमते बढ़ जाने के कारण मियाद बाहर होने के बाद अपील पेश की गई, जिसके लिये रेस्पोडेन्ट संख्या दो व तीन चार की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने के साथ धारा 5 भारतीय मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अखण्डित होने के बावजूद उसे स्वीकार करते हुए अपील को मैरिट पर सुनवाई की गई जो तथ्य विधि विरूद्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ध्यान दिये दिनांक 27.05.2024 यह हवाला दिया कि रेस्पोडेन्ट की माता की मृत्यु दिनांक 21.04.2021 को हुई अर्थात स्व. जगनाथराम की मृत्यु के समय गीतादेवी जीवित थी, जिस आधार पर अपीलाण्ट के हक में नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 09.10.2001 विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य होने से उसे अपास्त किया जाकर तहसीलदार रोहट जिला पाली को प्रेषित किया जाकर प्रकरण मृतक जगनाथराम के विधिक वारिसान की उचित जांच कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 09.10.2001 विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है जबकि विधि में डिक्री के निष्पादन की अवधि 12 वर्ष दी हुई है। अतः उक्त अवधि के भीतर ही डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है, उसके पश्चात् डिक्री के निष्पादन के लिये किया गया आवेदन अवधि बाहर होता है। अतः उपरोक्त डिक्री दिनांक 09.10.2001 की होने से कानूनन इसका निष्पादन नही किया जा सकता तथा न ही उक्त डिक्री के आधार पर नामान्तकरण ही दायर किया जा सकता है। अगर यह मान भी लिया जाये कि धारा 152 सी पी सी के तहत न्यायालय स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर डिक्री में संशोधन कर सकती है, तब भी उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा द्वारा संज्ञान नही लिया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त डिकी में जानबुझकर 23 वर्षों पश्चात् संशोधन चाहा है। म्याद अधिनियम के अनुच्छेद 136 के अनुसार डिक्री का निष्पादन 12 वर्ष के भीतर ही हो सकता है तथा रेस्पोडेन्ट ने संशोधन प्रार्थना पत्र की आड़ में डिक्री का निष्पादन चाहा है, जो कि विधि विरूद्ध है। मातहत न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत जाकर डिक्री में संशोधन करने का आदेश पारित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी उस आदेश को बिना किसी आधार के पुष्ट किया है। अतः उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 09.10.2001 के बाद से आपसी सहमति से विभाजन किया गया, उस दिन के बाद से अपीलाण्ट अपने अपने हिस्से पर बतौर मालिक व काबिज चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय व नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 09.10.2001 में पारित होने के 23 वर्ष बाद जमीनो के भाव बढ जाने के कारण उनकी माता की मृत्यु के बाद उक्त अपील पेश की है जो कि म्याद बाहर होने के बावजूद गलत तथ्य के आधार पर म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने बिना गौर फरमाये स्वीकार करते हुए उक्त आदेश दिनांक 27.5.2024 को पारित किया गया जो विधि विरूद्ध व आलौच्य होने से अपास्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के खण्ड (क) में अभिव्यक्त किया गया पुत्र पौत्र या पड पौत्र जैसी भी स्थिति हो, जो हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रभावित से पहले पैदा हुए या दत्तक ग्रहित किए गए थे, समझा जायेगा तथा इस धारा में प्रयोजन 20 दिसम्बर 2004 से पहले के प्रभावित विभाजन पर लागू नही होगे जबकि अपीलार्थी ने दिनाक 09.10.2001 को विभाजित किया। जिसमें यह प्रावधान लागू नही होता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय न बिना किसी उचित आधार के आदेश पारित किया है। अगर नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 09.10.2001 में 23 वर्षों पश्चात् संशोधन कर भी लिया जावे तो डिक्री पारित करने की दिनांक को नही बदला जा सकता तथा धारा 152 सीपीसी के तहत संशोधन सिर्फ क्लेरिकल ऐरर (गलती) को ठीक करने के लिये होता है तथा डिक्री में संशोधन करने से डिक्री पारित करने की तारीख को

न्यायालय संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

संभागीय आयुक्त,
पाली

नहीं बदला जा सकता। अतः म्यूटेशन संख्या 933 आदेश दिनांक 09.10.2001 को बहाल रखा जाकर न्यायालय जिला कलेक्टर पाली का निर्णय दिनांक 27.05.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता वकील रेस्पोडेण्ट्स ने दौराने बहस अभिकथन किया कि ग्राम सांवलता कलां तहसील रोहट के खसरा नंबर 115 रकबा 45 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि जगनाथराम पुत्र जोगाराम जाति जाट की हक हिस्से की खातेदारी की स्थित थी। जगनाथराम की मृत्यु वर्ष 2001 में हुई थी। जगनाथराम की मृत्यु के समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान् तीन पुत्र क्रमशः ढलाराम, मांगीलाल, बाबूलाल व तीन पुत्रिया क्रमशः गीतादेवी, चम्पा एवं शांतिदेवी जीवित थे परन्तु जगनाथराम के हिस्से की 1/4 भूमि के विरासत का नामान्तरकरण, मात्र अपीलाण्ट जो कि जगनाथराम के पुत्र थे, उन्ही के नाम स्वीकृत किया गया, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार सभी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम भरा जाना चाहिए था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची वर्ग I में पुत्र, पुत्री, पूर्वमृत पुत्री का पुत्र व पूर्व मृत पुत्री की पुत्री सम्मिलित है। पुत्रिया प्रथम श्रेणी की वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली का निर्णय दिनांक 27.05.2024 विधि के अनुसार है।

विद्वान अधिवक्ता वकील रेस्पोडेण्ट्स ने दौराने बहस अभिकथन किया कि पुत्रियो को 2005 के संशोधन से पैतृक सम्पति में कॉपार्सनर माना है जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने अर्थात 1956 से माना है, संशोधन को भूतलक्षी माना है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत डी एन जे 2020(3) पेज नंबर 817 प्रस्तुत किया गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के द्वौरान अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा 5 मयाद प्रार्थना पत्र व शपथपत्र का अपीलाण्ट ढलाराम वगैरह ने कोई जवाब व काउन्टर शपथपत्र नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय से पूर्व धारा 5 मयाद अधिनियम को तय कर स्वीकार कर अंतिम निर्णय पारित किया गया है। जहां निर्णय अवैध व शून्य है तो मयाद व तकनीकी आधार पर अपील खारिज करने से पूर्व अपील की मेरिट को देखा जाना आज्ञापक है तथा अपील मेरिट पर ठोस व सफल योग्य हो तो तकनीकी आधारो पर अपील को खारिज नही कर मेरिट पर तय करना आवश्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 27.05.2024 विधि के अनुसार है।

संभागीय आयुक्त,
पाली

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने यह भी तर्क दिया कि आर्टिकल 136 मियाद अधिनियम, इजराय पर लागू होता है। इस प्रकरण पर आर्टिकल 136 मियाद अधिनियम लागू नही होता है। इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने यह तर्क भी दिया कि सेक्शन 58 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित तथ्यों को प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता नही है तथा यह प्रमाणित तथ्य है कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 लगाय 4 जगनाथराम के पुत्री गीतादेवी के पुत्र/पुत्री है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण केवल मात्र जगनाथराम के पुत्रो के नाम से खुला है, पुत्रियो के नाम से तस्दीक नही हुआ है जबकि प्रश्नगत भूमि में जगनाथराम की पुत्रियो का भी समान अधिकार एवं हिस्सा है।

विद्वान अधिवक्ता वकील रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के द्वौरान अभिकथन किया कि पुत्रियो का नाम पिता की मृत्यु बाद विरासत म्यूटेशन में दर्ज नही करना अवैध है तथा ऐसे आदेश को बहाल नही रखा जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर सभी वारिसान की जांच कर व सुनवाई का अवसर देकर पारित करने का आदेश दिया है जो विधिवत है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2011(1) पेज नंबर 432, आर आर टी 2012(2) पेज नंबर 850, आर आर टी 2013(2) पेज नंबर 1284, आर आर टी 2018–19 पेज नंबर 145, आर आर डी 2002 पेज नंबर 669, आर आर डी 1998 पेज नबंर 319, आर आर टी 2009(2) पेज नंबर 1102 एवं आर आर टी 2024(2) पेज नंबर 1240 प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली का निर्णय दिनांक 27.05.2024 विधि के अनुसार होने अपील खारिज योग्य है।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने रिबीटल में कहा कि लिमीटेशन के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय हुये बिना मेरीट पर निर्णय पारित नही किया जा सकता है पहले लिमीटेशन तय होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिमीटेशन पर पृथक से कोई निर्णय पारित नही किया गया है, लिमीटेशन तथा मेरीट पर निर्णय साथ–साथ पारित कर दिये गये है जो कि उचित नही है।

7. हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि जैर अपील नायब तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 933 दिनांक 09–10–2001 को अपास्त कराने हेतु प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली को प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

संभागीय आयुक्त,
पाली

द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 27–05–2024 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 933 दिनांक 09–10–2001 को अपास्त किया गया।

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–05–2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह द्वितीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। बहस के द्वौरान विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय में नामान्तकरण संख्या 933 दिनांक 09.10.2001 की प्रथम अपील लगभग 23 वर्ष विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा धारा 5 मयाद प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नही कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारित कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–05–2024 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर,पाली ने निर्णय दिनांक 27–05–2024 में विवेचन किया है कि "हस्त दफा 5 भारतीय मयाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए मयाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है"। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष रेस्पोडेण्ट्स मृतक गीतादेवी के वारिसान राहुल चौधरी वगैरह द्वारा अंतर्गत 5 भारतीय मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का अपीलाण्ट ढलाराम वगैरह द्वारा ना तो कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा न ही 5 भारतीय मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ–पत्र का कोई काउण्टर शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अगर किसी मयाद संबंधी बिन्दु पर फाइंडिंग दे दी है तो अपीलीय न्यायालय को उसकी depth में जाने की आवश्यकता नही है। मयाद संबंधी बिन्दु पर पर अपील खारिज नही की जा सकती है तथा न ही किसी को उसके अधिकारो से वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली द्वारा मयाद कण्डोन कर गुणावगुण पर प्रथम अपील का निर्णय दिनांक 27–05–2024 को पारित किया गया है। मयाद संबंधी बिन्दु पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा finding दिये जाने के पश्चात् द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा भी मियाद संबंधी बिन्दु पर ही कोई निर्णय किया जाना तथा प्रकरण कि मेरिट पर निर्णय नही किये जाने से हस्तगत प्रकरण में Multiplicity of Proceedings ही बढ़ेगी।

संभागीय आयुक्त,
पाली

हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि ग्राम सांवलता कलां तहसील रोहट के खसरा नंबर 115 रकबा 45 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि जगनाथराम पुत्र जोगाराम जाति जाट की खातेदारी की भूमि स्थित थी। जगनाथराम की मृत्यु वर्ष लगभग 2001 में हुई थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची वर्ग I में पुत्र, पुत्री, पूर्वमृत पुत्री का पुत्र व पूर्व मृत पुत्री की पुत्री सम्मिलित है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारियों को उनके अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली जिला पाली के राजस्व अपील संख्या 5/2024 उनवान मृत गीतादेवी के वारिसान राहुल चौधरी वगैरह बनाम ढलाराम वगैरह निर्णय दिनांक 27.05.2024 विधि के अनुरूप होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नही पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली के राजस्व अपील संख्या 5/2024 उनवान मृत गीतादेवी के वारिसान राहुल चौधरी वगैरह बनाम ढलाराम वगैरह निर्णय दिनांक 27.05.2024 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ कार्यालय का मूल रिकॉर्ड वापस प्रेषित किया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये।

संभागीय आयुक्त,
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 24 दिसम्बर 2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
पाली